

14.07.2017

आवेदक सहित अधि. श्री जी.एस.निगम उपस्थित।

अनावेदिका द्वारा अधि. श्री एम.पी.एस. राणा उपस्थित।

आवेदक की ओर से एक आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया है कि वह प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

विचार उपरांत आवेदनपत्र स्वीकार कर आवेदक की याचिका समाप्त की जाती है।

प्रकरण में परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

वीरेन्द्र सिंह राजूपत
अपर जिला जज गोहद